छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्यवृत्त

दिनांकः 01.12.2012 को अपराह्न 01.00 बजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सेंटर फॉर एकेडमिक्स भवन में हुई कार्यपरिषद की **आपात बैठक** की कार्यवाहीः–

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति, सी.एस.जे.एम.यू., कानपुर	अध्यक्ष
2.	प्रो० महेन्द्र सिंह सोढा, पूर्व कुलपति, बी–113, निराला नगर, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री अरविन्द चौधरी, 101 मेडिटेक अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 59, सेक्टर–56, गुडगॉव, हरियाणा	सदस्य
4.	डॉ० श्याम बाबू गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर	सदस्य
5.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
6.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, आचार्य, शिक्षा विभाग	सदस्य
7.	डॉ0 अंशु यादव, उपाचार्या, आई0बी0एम0	सदस्या
8.	डा0 नीरज कुमार सिंह, उपाचार्य, आई0बी0एम0	सदस्य
9.	डा0 एस.पी. शाक्य, प्राचार्य, आर.एम.पी. डिग्री कालेज, सीतापुर	सदस्य
10.	डा0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य, डी0बी0एस0 पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
11.	डा0 एस0एस0 शाक्य, प्राचार्य, नेहरू कॉलेज, छिबरामऊ, कन्नौज	सदस्य
12.	डा0 एन.एन.सी. अवस्थी, वनस्पति विज्ञान विभाग, ब्रह्मानन्द पी0जी0 कॉलेज, कानपुर	सदस्य
13.	श्री अरविन्द सिंह, रसायन विज्ञान विभाग, वी.एस.एस.डी. कॉलेज, कानपुर	सदस्य
14.	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, वित्त अधिकारी, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सदस्य
15.	श्री सय्यद वकार हुसैन, कुलसचिव, सी.एस.जे.एम.वि.वि., कानपुर	सचिव

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय ने कार्यपरिषद के नवनियुक्त सदस्य डॉ0 श्यामबाबू गुप्ता, प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, डॉ0 अंशु यादव, डॉ0 नीरज कुमार सिंह, डॉ0 एस0पी0 शाक्य, डॉ0 अशोक कुमार श्रीवास्तव, डॉ0 एस0एस0 शाक्य, डॉ0 एन0एन0सी0 अवस्थी एवं श्री अरविन्द सिंह का स्वागत करते हुए परिषद के अन्य सदस्यों से परिचय कराया एवं सभी नवनियुक्त सदस्यों द्वारा अध्यक्ष प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति का स्वागत किया गया। परिषद ने कार्यकाल पूर्ण कर चुके पूर्व सदस्यों डॉ0 यू0एन0 शुक्ला, डॉ0 भृगुपति पाण्डेय, प्रो0 ए0एल0 जाटव, डॉ0 संजय कुमार स्वर्णकार, प्रो0 शिखा मिश्रा, डॉ0 सुधांशु पाण्डिया, डॉ0 राजेश कुमार, डॉ0 परवेज ई. डीन, डॉ0 आशा रानी राय, डॉ0 आर0बी0 चतुर्वेदी, डॉ0 के0पी0 कामथान एवं डॉ0 वी0के0 श्रीवास्तव के बहुमूल्य सुझावों एवं विश्वविद्यालय के प्रति उनके अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

मद सं०–1: **विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में विचार।**

विश्वविद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में परिषद द्वारा अवगत होते हुए सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिये गये –

(क) विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में परीक्षा शुल्क का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को अवगत कराया गया। कतिपय महाविद्यालयों द्वारा सत्र के मध्य में परीक्षा शुल्क बढ़ाये जाने की बात कहते हुए विरोध किये जाने के प्रकरण पर कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा में होने वाले व्यय के सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्धारित परीक्षा शुल्क उचित है। कार्यपरिषद, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या–60878/2012 में पारित निर्णय दिनांकः 23.11.2012, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क सम्बन्धी निर्णय को उचित ठहराया गया है, से भी भी अवगत हुई। परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि 23.11.2012 तक जिन महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा कर दिये गये हैं उन्हीं महाविद्यालयों की परीक्षायें सम्पन्न करायीं जायें। किन्तु परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में यदि महाविद्यालयों से कोई प्रत्यावेदन प्राप्त होता है तो ऐसे प्रत्यावेदनों पर विचार किया जा सकता है।

(ख) परषिद के सदस्यों को अवगत कराया गया कि कुछ छात्र विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की शुल्क की रसीद लेकर आये थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि कतिपय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से शुल्क के रूप में एकमुश्त धनराशि जुलाई माह में प्रवेश के समय ही जमा करा ली जाती है, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा फार्म के साथ अक्टूबर–नवम्बर में ही प्राप्त किया जाता है। महाविद्यालयों द्वारा छात्रों के निर्गत शुल्क रसीद से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त राशि में परीक्षा शुल्क कितना है। अतः परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक महाविद्यालय से प्राप्त किये जाने वाले समस्त शुल्क का मदवार विवरण प्राप्त कर लिया जाये तथा महाविद्यालयों को यह निर्देश दिया जाये कि वह अपने महाविद्यालय के शुल्क का मदवार विवरण अपने–अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी जनसूचनार्थ आवश्यक रूप से प्रदर्शित करें।

(ग) कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों से लिये जाने वाले 05% प्रशासनिक व्यय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का संज्ञान प्राप्त किया एवं वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं का भी संज्ञान ग्रहण किया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कार्यपरिषद की आपात बैठक है जिसमें इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। अतः कार्यपरिषद की आगामी नियमित बैठक में 05% प्रशासनिक व्यय को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में समस्त तथ्य विचारार्थ प्रस्तुत किये जायें ताकि उक्त के सम्बन्ध में समुचित निर्णय कार्यपरिषद की नियमित बैठक में हो सके।

अन्त में माननीय कुलपति जी को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव